रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2007/आषाढ़ 6, 1929

No. 775] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2007/ASADHA 6, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2007

का.आ. 1038(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का, जो दिल्ली सरकार के पूर्णत: स्वामित्वाधीन एक सरकारी कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एन-36, बम्बई लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन 27 मई, 1985 को निगमित की गई थी, सतत् व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन संक्रिया जारी रखने के प्रयोजन के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो दिल्ली सरकार के पूर्णत: स्वामित्वाधीन एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिट्रीकृत कार्यालय ए-3/4 स्टेट इम्पोरिया, बिल्डिंग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन 15 फरवरी, 1971 को निगमित की गई थी, के साथ एक कंपनी में समामेलन किया जाना चाहिए;

और दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने तारीख 2 जून, 2004 और 28 जून, 2006 को हुए बोर्ड के अधिवेशनों में समामेलन की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है और उक्त कंपनी के शेयरधारकों ने अपने तारीख 2 जून, 2004 को हुए वार्षिक साधारण अधिवेशन में और तारीख 6 जुलाई, 2006 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में समामेलन की स्कीम, को अनुमोदित कर दिया है। इसी प्रकार, दिल्ली औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने तारीख 2 जून, 2004 और तारीख 28 जून, 2006 को हुए बोर्ड के अधिवेशनों में समामेलन की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है और इस कंपनी के शेयरधारकों ने अपने क्रमश: तारीख 2 जून, 2004 और 6 जुलाई, 2006 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में समामेलन की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है;

और समामेलन की ऐसी स्कीम वाले प्रारूप आदेश की एक प्रति अधिनियम की धारा 396 की उपधारा (4) के अधीन उक्त प्रत्येक कंपनी को भेज दी गई थी;

और उक्त प्ररूप आदेश के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचारपत्रों में उसके प्रकाशन के लिए एक सूचना तारीख 7 सितम्बर, 2006 के दैनिक समाचापत्रों अर्थात् "दि इंडियन एक्सप्रैस" (अंग्रेजी) और "जनसत्ता" (हिन्दी) में प्रकाशित की गई थी;

और समामेलन की स्कीम के संबंध में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दो कंपनियों का एक-एक कंपनी में समामेलन करने का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड समामेलन आदेश, 2007 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा–इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अंतरक कंपनी" से दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ख) "अंतरिती कंपनी" से दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;

(घ) "प्रभावी तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;

(ङ.) "स्कीम" से अपने वर्तमान रूप में समामेलन की यह स्कीम अभिप्रेत है;

(च) "उपक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा–

(i) प्रभावी तारीख को यथा विद्यमान अंतरक कंपनी की सभी आस्तियां और संपत्ति;

(ii) प्रभावी तारीख को यथा विद्यमान अंतरक कंपनी के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त दायित्व" कहा गया है)।

(iii) उपर्युक्त उपखंड (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतरक कंपनी के उपक्रम में अंतरक कंपनी की सभी आरक्षितियां के जंगम और स्थावर संपत्ति, आस्तियां जिसके अन्तर्गत पट्टाधृत अधिकार, अभिधारण, अधिकार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, प्राधिकार, कोटा अधिकार भी हैं, व्यापार चिह्न, पेटेन्ट और अन्य औद्योगिक और बौद्धिक संपत्ति, आयात कोटा, टेलीफोन, टैलेक्स, फैसीमाइल और अन्य संचार सुविधाएं और उपस्कर, सभी करारों और सभी अन्य हितों के अधिकार और फायदे, प्रत्येक प्रकार, प्रकृति के चाहे जो भी हो, वर्णन अधिकार और शक्तियां, विशेषाधिकार, दायित्व, सुखाधिकार लाभ, फायदे और अनुमोदन भी सम्मिलित हैं।

3. शेयर पूंजी

(क) अंतरक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी, प्रत्येक 100 रुपये के 10,00,000 साधारण शेयरों में विभाजित 10,00,00,000 रुपए है । पुरोधृत, अभिदत्त, और समादत्त शेयरपूंजी 3,18,00,000 रुपए है जिसमें प्रत्येक 100 रुपए के 3,18,000 साधारण शेयर समाविष्ट हैं । कोई मांग बकाया नहीं है ।

(ख) अन्तरिती कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी, 30,00,00,000 रुपए है, जिसमें प्रत्येक 100 रुपए के 30,00,000 साधारण शेयर समाविष्ट हैं । पुरोधृत, अभिदत्त और समादत्त शेयर पूंजी 21,86,23,000 रुपए है, जिसमें प्रत्येक 100 रुपए के 21,86,230 साधारण शेयर समाविष्ट हैं, कोई मांग बकाया नहीं है ।

4. उपक्रम का अंतरण

(i) प्रभावी तारीख को तथा विद्यमान कारबार के प्रारंभ से अंतरक कंपनी का उपक्रम, किसी और कारवाई या विलेख के बिना उसी प्रकार रहेगा और अधिनियम की धारा 396 के उपबंधों और अन्य लागू होने वाले उपबंधों के अनुसरण में अन्तरिती कंपनी को अन्तरित या उसमें निहित हो जाएगा अथवा अन्तरित या उसमें निहित हुआ समझा जाएगा;

(ii) प्रभावी तारीख से और ऐसी शुद्धियों और समायोजनों के अधीन रहते हुए, जो अन्तरिती कंपनी के निदेशक बोर्ड की राय में अपेक्षित हो । अन्तरक कंपनी के 31 मार्च, 2006 को यथा विद्यमान तुलनपत्र में दर्शाई गई पूंजी आरक्षिति अन्तरिती कंपनी की पूंजी आरक्षित में उसी रूप में विलीन हो जाएगी जैसी वे अन्तरक कंपनी के वित्तीय विवरण में उपदर्शित हों:

परन्तु समामेलन पर अन्तरिती कंपनी द्वारा जारी नई शेयरपूंजी के रूप में अभिलिखित रकम और तारीख 31 मार्च, 2006 को अन्तरक कंपनी की शेयरपूंजी की रकम के बीच के अंतर को अन्तरिती कंपनी के राजस्व आरक्षिति (आरक्षितियों) में प्रतिबिम्बित किया जाएगा;

(iii) यह और कि कंपनियों के मध्य लेखा नीति में कोई भिन्नता होने की दशा में समामेलन होने तक उसका समाधात् निर्धारित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तरिती कंपनी का वित्तीय विवरण सतत लेखा नीति के आधार पर वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है, पूर्व में उल्लिखित राजस्व आरक्षिति (आरक्षितियों) में समायोजित किया जाएगा;

(iv) प्रभावी तारीख से उक्त सभी दायित्व, किसी और कार्रवाई या विलेख के बिना अधिनियम के लागू होने वाले उपबन्धों के अनुसरण में अन्तरिती कंपनी को अन्तरित हो जाएंगे जिससे कि वे प्रभावी तारीख से अन्तरिती कंपनी के ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं हो जाएं ।

(v) लेखा प्रयोजनों के लिए, समामेलन, विघटित कंपनी के 31 मार्च, 2006 को यथा विद्यमान संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्र के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और तत्पश्चात् अन्तरक कंपनी और अन्तरिती कंपनी दोनों से संबद्ध संव्यवहार अन्तरिती कंपनी की लेखा बहियों में अभिलिखित किए जाएंगे। विघटित कंपनी के लिए किसी पश्चात्वर्ती तारीख को यथा विद्यमान अपने अन्तिम लेखे तैयार करना अपेक्षित नहीं होगा और परिणामी कंपनी तारीख 31 मार्च, 2006 को यथा विद्यमान विघटित कंपनी के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व ग्रहण कर लेगी और उसके पश्चात् विघटित कंपनी के सभी संव्यवहारों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करेगी।

5. संविदाएं, विलेख, बंधपत्र और अन्य लिखतें–स्कीम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभाव रखने वाली सभी संविदाएं विलेख, बंधपत्र, डिबेन्चर, करार और किसी भी प्रकार की अन्य लिखतें जिसका अन्तरक कंपनी पक्षकार है, यथास्थिति अन्तरिती कंपनी के संबंध में या उसके पक्ष में पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी और इस प्रकार पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से लागू की जा सकेगी मानो अन्तरक कंपनी के बजाय अन्तरिती कंपनी उसका पक्षकार रहा हो।

6. विधिक कार्यवाहियां–यदि कोई वाद, रिट याचिका, अपील, पुनरीक्षण या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाहियां (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कार्यवाहियां" कहा गया है) अन्तरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बितय हों तो उसे उपशमित नहीं किया जाएगा, जारी नहीं रखा जाएगा या अन्तरक कंपनी के उपक्रम के

अन्तरण के कारण या स्कीम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण किसी प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं किया जाएगा किन्तु कार्यवाहियां अन्तरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति में और उस सीमा तक जारी रखी जा सकेगी, अभियोजित और लागू की जा सकेंगी, जिस तक वह अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी अभियोजित और लागू की जाती या की गई हो मानो स्कीम बनाई नहीं गई हो। प्रभावी तारीख से ही अन्तरिती कंपनी, अन्तरक कंपनी के लिए और उसकी ओर से कोई विधिक कार्यवाहियां आरंभ करेगी और कर सकेगी।

7. स्कीम के प्रवर्तन की तारीख–स्कीम प्रभावी तारीख से प्रभावी होगी।

8. अंतरक कंपनी के कर्मचारिवृन्द, कर्मकार और कर्मचारी–(1) अंतरक और अन्तरिती कंपनियों के निदेशक बोर्ड ने तारीख 17 सितम्बर, 1996 को अपने अधिवेशनों में अन्तरक कंपनी के अन्तरिती कंपनी में से विलय को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है।

(2) स्कीम के अधीन उपक्रम के अन्तरण से ठीक पूर्व, अन्तरक कंपनी की सेवा में के सभी कर्मचारिवृन्द, कर्मकार और अन्य कर्मचारी निम्नलिखित आधार पर, अन्तरिती कंपनी के कर्मचारिवृन्द, कर्मकार और कर्मचारी हो जाएंगे-

(i) उनकी सेवा जारी रखी गई हो और उपक्रम के अन्तरण के कारण उसमें अवरोध नहीं आया हो;

(ii) ऐसे अन्तरण के पश्चात् उक्त कर्मचारिवृंद, कर्मकारों या कर्मचारियों को लागू सेवा के निबंधन और शर्तें, अन्तरण से ठीक उन्हें पूर्व लागू उन निबन्धनों और शर्तों से किसी प्रकार कम अनुकूल नहीं होनी चाहिए; और

(iii) प्रभावी तारीख से, अंतरक कंपनी के सभी कर्मचारी अन्तरिती कंपनी के कर्मचारी होंगे और वे स्वयं में एक पृथक समूह का गठन करेंगे और उन्हें अन्तरिती कंपनी के कर्मचारियों से परस्पर ज्येष्ठता का अधिभार नहीं होगा;

(iv) अंतरक कंपनी के कर्मचारिवृन्दों, कर्मकारों और कर्मचारियों के फायदे के लिए अभिदत्त भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान और अन्य निधि खाते को अंतरक कंपनी, प्रभावी तारीख से, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जो प्रभावी तारीख को विद्यमान थीं, उनके फायदे के लिए धारण करती रहेगी और अंतरिती कंपनी प्रभावी तारीख से अन्तरिती कंपनी द्वारा नए निधि खाते खोले जाने तक निधि खातों में ऐसे कर्मचारियों के लिए आवश्यक अभिदाय करके योगदान करेगी और अन्यथा उन्हें प्रचालित करेगी ।

(v) यह उद्देश्य और आशय है कि अन्तरक कंपनी के कर्मचारियों की सेवाओं को सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत जब कभी संदाय के लिए शोध्य हों, अंतरिती कंपनी द्वारा उपदान के संदाय के लिए पात्रता का अवधारण भी है, किसी व्यवधान के बिना जारी बना माना जाएगा ।

(vi) प्रभावी तारीख को अन्तरक कंपनी के सभी कर्मचारी, प्रभावी तारीख से सेवा में किसी व्यवधान या बाधा के बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो उक्त तारीख से पूर्व उनके लिए कम अनुकूल न हों, अन्तरिती कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे ।

9. प्रभावी तारीख को यथा विद्यमान अंतरक कंपनी और अंतरिती कंपनी के बीच अतिशेष सभी रकम स्वतः समायोजित हो जाएंगी ।

10. शेयरों का जारी करना--अंतरण के प्रतिफलस्वरूप स्कीम के अन्तिम रूप से प्रभावी होने और स्कीम के निबन्धनानुसार अंतरक कंपनी के उपक्रम का अन्तरिती कंपनी में निहित होने पर, अन्तरिती कंपनी, स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और किसी और आवेदन या विलेख के बिना, अंतरक कंपनी के शेयरधारकों को, अंतरक कंपनी में उक्त शेयरधारकों द्वारा धारित 100 रुपए के अंकित मूल्य के प्रत्येक 1088 साधारण शेयरों के लिए अन्तरिती कंपनी की पूंजी में पूर्णतः समादत्त रूप में जमा किए गए प्रत्येक 100 रुपए के 100 साधारण शेयर जारी और आबंटित करेगी ।

11. नए शेयर प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना--नए शेयर प्रमाणपत्र पूर्वोक्तानुसार जारी किए जाएंगे, तथापि, ऐसी आंशिक हकदारी के संबंध में, जिसके लिए अंतरक कंपनी के शेयरधारक यथापूर्वोक्त अन्तरिती कंपनी के साधारण शेयरों के जारी किए जाने और आबंटन पर हकदार हो सकेंगे, अन्तरिती कंपनी द्वारा आंशिक कूपन जारी नहीं किए जाएंगे । अन्तरिती कंपनी के निदेशक ऐसी सभी आंशिक हकदारी का, जिसके लिए अंतरक कंपनी का सदस्य यथापूर्वोक्त अन्तरिती कंपनी के साधारण शेयरों के जारी किए जाने और आबंटन पर हकदार हो सकेगा, तुरंत समेकन करेंगे । ऐसे मामलों में, अन्तरक कंपनी में 1088 से अन्यून साधारण शेयरों के धारक अन्तरिती कंपनी में किसी शेयर के जारी किए जाने या आबंटन के लिए हकदार नहीं होंगे किन्तु उपरोक्तानुसार अपनी आंशिक हकदारी के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विक्रय आगम प्राप्त करेंगे ।

12. आरक्षितियों का व्यवहार--इस स्कीम के प्रभावी होने पर और इसमें इसके पश्चात् जो कहा गया है उसके कर व्यवहार के होते हुए भी, लाभ हानि लेखे में विकलन अतिशेष को, यदि कोई हों, अन्तरिती कंपनी की लेखा बहियों में जमा अतिशेषों (लाभ-हानि लेखा या आरक्षित और अधिशेष) से समायोजित किया जाएगा और प्रभावी तारीख को यथा विद्यमान अन्तरिती कंपनी की लेखा बहियों में "आरक्षिती और अधिशेष" शीर्ष के अधीन मदों के संबंध में नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कार्यवाही की जाएगी,--

(क) लाभ-हानि लेखे में कुल विकलन अतिशेषों को, यदि कोई हो और अपलिखित/समायोजित न की गई सीमा तक अन्तरिती कंपनी की लेखा बहियों में जमा अतिशेषों (लाभ-हानि लेखे या आरक्षिति और अधिशेष में) से समायोजित किया जाएगा;

(ख) प्रभावी तारीख को अंतरक कंपनी की लेखा-बहियों में आरक्षिती और अधिशेष के रूप में आने वाली मदें, अंतरिती कंपनी की तत्स्थानी आरक्षिती हो जाएंगी ।

13. समामेलन के प्रभाव--

(क) अंतरक कंपनी स्वतंत्र कंपनी के रूप में कार्य करना जारी नहीं रखेगी, अपितु अन्तरिती कंपनी में विलीन हो जाएगी और समामेलित कंपनी ऐसे अनुमोदनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, दिल्ली राज्य औद्योगिकी और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नामक अन्तरिती कंपनी के विद्यमान

नाम के अधीन कार्य करेगी । अंतरक कंपनी द्वारा अपने बैंककारों, व्यवसाय संघों, वितरकों, स्टाकिस्टों आदि के साथ किए गए सभी करार, पूर्णत: प्रवृत्त और प्रभावी बने रहेंगे तथा पूर्णत: और प्रभावी रूप से इस प्रकार प्रवृत्त किए जा सकेंगे मानो अन्तरक कंपनी के बजाय अन्तरिती कंपनी उनमें पक्षकार रही हो;

(ख) अन्तरक कंपनी द्वारा किए गए सभी कारबारी क्रियाकलाप अन्तरिती कंपनी द्वारा नए नाम के अधीन किए जाते रहेंगे और अन्तरक कंपनी द्वारा अपने बैंककारों, व्यवसाय संघों, वितरकों, स्टाकिस्टों आदि के साथ किए गए सभी करार पूर्णत: प्रवृत्त और प्रभावी बने रहेंगे और नए नाम के अधीन समामेलित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किए जा सकेंगे;

(ग) अन्तरक कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो प्रभावी तारीख से ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण कर रहा हो, प्रभावी तारीख को अंतरक कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा ।

14. कराधान के संबंध में उपबंध--प्रभावी तारीख से पूर्व अंतरक कंपनी द्वारा किए गए लाभ और अभिलाभों (जिसके अंतर्गत संचित हानि और शेष अवक्षयण भी हैं) के संबंध में सभी कर ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए, जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएंगे अन्तरिती कंपनी द्वारा संदेय होंगे ।

15. दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विघटन--इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी तारीख से, दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को अन्तरित कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अंतरक कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे निदेशक या अधिकारी के रूप में हैसियत में कोई दावा, मांग या कार्रवाई, उस दशा के सिवाय नहीं करेगा, बनाए नहीं रखेगा या नहीं चलाएगा जहां इस आदेश के उपबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक हो ।

16. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण—अंतरक और अंतरिती कंपनियां, इस अधिसूचना के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को इस आदेश की एक प्रति भेजेंगे, जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा अन्तरिती कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय करने पर, आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । तत्पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा, अपने पास अन्तरक कंपनी से संबंधित रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेजों को उस अन्तरिती कंपनी की फाइल पर रखेगा, जिसमें अंतरक कंपनी का समामेलन हुआ है और ऐसे समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा ।

[फा. सं. 24/13/2004-सी एल-III]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2007

S. O. 1038(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Delhi State Mineral Development Corporation Limited, a Government company, wholly owned by the Government of Delhi, was incorporated on 27th May, 1985 under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at N-36, Bombay Life Building, Connaught Circus, New Delhi-110001 should be amalgamated with the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited, a Government company, wholly owned by the Government of Delhi, was incorporated on 15th February, 1971 under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at A-3/4, State Emporia Building, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001, into a single company for the purpose of continuing systematic and scientific mining operation;

And whereas, the Board of Directors of the Delhi State Mineral Development Corporation Limited has approved the scheme of amalgamation in the Board Meetings held on 2nd June, 2004, and 28th June, 2006 and shareholders of the said company have approved the scheme of amalgamation in their Annual General Meeting held on 2nd June, 2004 and Extra-Ordinary General Meeting held on 6th July, 2006. Similarly, the Board of Directors of Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited has approved the scheme of amalgamation in the Board Meetings held on 2nd June, 2004, and 28th June, 2006, and shareholders of this company have approved the scheme of amalgamation in their Extra-Ordinary General Meeting held on 2nd June, 2004 and 6th July, 2006, respectively.

And whereas, a copy of the draft Order containing such scheme of amalgamation was sent to each of the said companies under sub-section (4) of Section 396 of the Act;

And whereas, a notice in respect the said draft order was published in the daily newspapers, namely, "The Indian Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) dated 7th September, 2006 for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

And whereas, no objections were received against the scheme of amalgamation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following order to provide for the amalgamation of said two companies into a single company, namely :—

1. **Short title and commencement.—**

(1) This Order may be called the Delhi State Mineral Development Corporation Limited and the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited Amalgamation Order, 2007.

(2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(2) **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) "The transferor company" means Delhi State Mineral Development Corporation Limited;

(b) "The transferee company" means Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;

(c) "The Act" means the Companies Act, 1956.

(d) "effective date" means the date on which this Order is notified in the Official Gazette.

(e) "The Scheme" means this Scheme of Amalgamation in its present form;

(f) "Undertaking" shall means.—

(i) all the assets and properties of the transferor company as on the effective date;

(ii) all the debts, liabilities, duties and obligations of the transferor company as on the effective date (hereinafter referred to as "the said Liabilities").

(iii) without prejudice to the generality of sub-clause (i) above, the undertaking of the transferor company shall include all the transferor company's reserves, movable and immovable properties, assets, including lease hold rights, tenancy rights, industrial and other licenses, permits, authorizations, quota rights, trade marks, patents and other industrial and intellectual properties, import quotas, telephones, telex, facsimile and other communications facilities and equipments, rights and benefits of all agreements and all other interests, rights and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, benefits and approvals.

3. **Share Capital.—**

(a) The Authorised Share Capital of the transferor company is Rs. 10,00,00,000 divided into 10,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each.The issued, subscribed and paid up Share Capital is Rs. 3,18,00,000 comprising of 3,18,000 Equity Shares of Rs. 100 each. No calls in arrears.

(b) The Authorised Share Capital of the transferee company is Rs. 30,00,00,000 comprising of 30,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each. The issued, subscribed and paid up Share Capital is Rs. 21,86,23,000 comprising of 21,86,230 Equity Shares of Rs. 100 each. No calls in arrears.

4. **Transfer of undertaking.—**

(i) With effect from the opening of business as on the effective date, the undertaking of the transferor company shall, without any further act or deed, be the same and shall stand transferred to and vested in or deemed to have been transferred to or vested in the transferee company pursuant to the provisions of section 396 and other applicable provisions of the Act;

(ii) With effect from the effective date, and subject to any corrections and adjustments as may, in the opinion of the Board of Directors of the transferee company, be required, the capital reserves shown in the balance sheet as on 31st March, 2006 of the transferor company will be merged with those of the transferee company in the form as they appeared in the financial statement of the transferor company;

Provided that the difference between the amount recorded as fresh share capital issued by the transferee company on amalgamation and the amount of share capital of the transferor company as on 31st March, 2006 will be reflected in the Revenue Reserve(s) of the transferee company;

(iii) Further, in case of any differences in accounting policy between the Companies, the impact of the same till the amalgamation will be quantified and adjusted in the Revenue Reserve(s) mentioned earlier to ensure that the financial statement of the transferee company reflects the financial position on the basis of consistent accounting policy;

(iv) With effect from the effective date, all the said liabilities shall, without any further act or deed, be and stand transferred to the transferee company, pursuant to the applicable provisions of the Act, so as to become as from the effective date, the debts, liabilities, duties and obligations of the transferee company;

(v) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 2006 of the dissolved company and the transactions thereafter pertaining to both the transferor company and transferee company shall be recorded in the books of account of the transferee company. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet of the dissolved company as on 31st March, 2006 and accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter;

5. **Contracts, deeds, bonds and other instruments.**—Subject to other provisions contained in the Scheme, all contract, deeds, bonds, debentures, agreements and other instruments of whatever nature to which the transferor company is a party subsisting or having effect immediately before the effective date shall remain in full force and effect against or in favour of the transferee company, as the case may be, and may be enforced as fully and as effectually as if, instead of the transferor company, the transferee company had been a party thereto.

6. **Legal proceedings.**—If any suit, writ petition, appeal, revision or other proceedings of whatever nature (hereinafter called "the proceedings") by or against the transferor company be pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor company or of anything contained in the Scheme, but the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee company in the same manner and to the same extent as it would be or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the transferor company as if the Scheme had not been made. On and from the effective date, the transferee company shall and may initiate any legal proceedings for and on behalf of the transferor company.

7. **Operative date of the scheme.**—The Scheme shall become effective from the effective date.

8. **Transferor Company's staff, workmen and employees.**—(1) The Board of directors of the transferor and transferee companies in its meetings on 17th September, 1996 approved the merger of transferor company with the transferee company in principle.

(2) All the staff, workmen and other employees in the service of the Transferor Company immediately before the transfer of the undertaking under the scheme shall become the staff, workmen and employees of the transferee company on the following basis :

(i) their service have been continuous and have not been interrupted by reason of the transfer of the Undertaking;

(ii) the terms and conditions of service applicable to the said staff, workmen or employees after such transfer should not in any way be less favourable to them than those applicable to them immediately before the transfer; and

(iii) with effect from the effective date all employees of the transferor company would be the employees of the Transferee Company and would constitute a separate group in itself and would have no right to seniority interse those of the transferee company.

(iv) the existing provident fund, superannuation fund, gratuity and other funds accounts of the transferor company contributed for the benefit of the staff, workmen and employees transferor company shall with effect from the effective date continue to hold the said funds accounts for their benefits on the same terms and conditions as subsisting on the effective date and the transferee company shall with effect from the effective date contribute by making necessary contributions and otherwise operate the funds accounts for such employees until the transferee company opens new funds accounts.

(v) it is the end and intent that the services of the employees of the transferor company will be taken as having been continued without any break for all purposes including for determination of eligibility for payment of gratuity by the transferee company, as and when becoming due for payments.

(vi) all the employees of the transferor company on the effective date will become the employees of the transferee company with effect from the effective date without any break or interruption in service and on terms not less favourable to them before the said date.

9. All the amount outstanding as between the transferor company and the transferee company as on the effective date shall stand automatically adjusted.

10. **Issue of shares.**—

Upon the scheme becoming finally effective, in consideration of the transfer and vesting of the undertaking of the transferor company in the transferee company in terms of the Scheme, the transferee company shall subject to the provisions of the Scheme and without any further applications or deed, issue at par and allot 100 Equity Shares of Rs. 100/- each credited as fully paid up in the capital of the transferee company to the shareholders of the transferor company for every 1088 equity shares of the face value of Rs.100/- each held by the said shareholders in the transferor company.

11. **Issue of new share certificates.**—The new share certificates will be issued as aforesaid, however, no fractional coupons shall be issued by the transferee company in respect of the fractional entitlement, to which the shareholders of the transferor company may be entitled on issue and allotment of Equity Share of transferee company as aforesaid. The Directors of the transferee company shall instead consolidate all such fractional entitlements to which of the member of the transferrer company may be entitled on issue and allotment of the Equity Shares of the transferee company as aforesaid. In such cases, holders of less than 1088 Equity Shares in the transferor company shall not be entitled to issue or allotment of any share in the transferee company, but shall receive sale proceeds according to the valuation report in respect of their fractional entitlements as above.

12. **Treatment of reserves.**—Upon this scheme becoming effective and notwithstanding the tax treatment of what is stated hereafter, the debit balances in the profit and loss account, if any, shall be adjusted with the credit balances (in Profit and Loss Account or Reserve and Surplus) in the books of the transferee company and the items under the head "Reserves and Surplus" in the books of the transferee company as on the effective date shall be dealt as specified below :

(a) the aggregate of the debit balances in the profit and loss account, if any, and to the extent not written off/adjusted shall be adjusted with the credit balances (in Profit and Loss Account or Reserve and Surplus in the books of the transferee company;

(b) items appearing as Reserves and Surplus in the books of transferor company as on the effective date shall become the corresponding reserve of the transferee company;

13. **Effects of amalgamation.—**

(a) The transferor company will not continue to function as an independent Company but will be merged with the transferee company and the amalgamated Company shall function under the existing name of transferee company called Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited subject to the approvals, if any. All agreements entered into by the transferor company with its bankers, trade unions, distributors, stockist etc. shall continue to be in full force and effect and may be enforced as fully and effectively as instead of the transferor company, the transferee company had been a party thereto.

(b) All the business activities engaged in by the transferor company shall be continued by the transferee company under the new name, and all agreements entered into by the transferor company with its bankers, trade unions, distributors, stickist etc. shall continue to be in full force and effect and may be enforced by or against the amalgamated company under the new name.

(c) Every director of the transferor company holding office as such immediately before the effective date shall cease to be a director of the transferor company on the effective date.

14. **Provisions with respect to taxation.**—All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the transferor company before the effective date shall be payable by the transferee company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

15. **Dissolution of the Delhi State Mineral Development Corporation Limited .**—Subject to the other provisions of this Order, as from the effective date, the Delhi State Mineral Development Corporation Limited shall be transferred and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the transferor company or against a director or any officer thereof in his or her capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

16. **Registration of the Order by the Registrar of Companies.**—The transferor and transferee companies shall, as soon as may be after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Delhi and Haryana a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Delhi and Haryana shall register the Order on pay of the prescribed fees by the transferee company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Delhi and Haryana shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the transferor company on the file of the transferee company with whom the transferor company has been amalgamated and shall keep such consolidated documents on his file.

[File No. 24/13/2004-CL-III]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.